कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् गोविन्द कुमार व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि सूरेवाला, टिब्बी, हनुमानगढ का स्थानांतरण राउमावि सारोदा, डूंगरपुर किया गया। गोविन्द कुमार द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 18432/2019 गोविन्द कुमार बनाम सरकार दायर की गई।

जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.11.2019 द्वारा स्थगन दे दिया गया। इस प्रकार राउमावि सूरेवाला , हनुमानगढ में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 13.11.2019 को निदशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण गोविन्द कुमार व्याख्याता अंग्रेजी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर राउमावि जोगीवाला, भादरा, हनुमानगढ में पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/एसबीसियासं 18432/गोविन्द कुमार/2019/234 दिनांक : 27/11/2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर